



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127384

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-19876 वर्ष 2026

छेदू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: चन्दन शर्मा, विभोर अरोड़ा

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र थाना-बिंदकी, जनपद-फतेहपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-36 वर्ष 2026, धारा 85, 80(2), बी.एन.एस. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक मृतका का श्वसुर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल सात व्यक्तियों को नामजद किया गया है। आवेदक के विरुद्ध केवल सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाए

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फाँसी लगने के परिणामस्वरूप उत्पन्न श्वासावरोध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर पाए गए फंदे के निशान के अतिरिक्त कोई अन्य चोट नहीं पाई गई। आवेदक लगभग 70 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है। मृतका ने आवेदक के पुत्र एवं उसकी पत्नी के मध्य उत्पन्न विवाद के कारण आत्महत्या कर ली। आवेदक का मामला मृतका के पति के मामले से भिन्न है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई, किन्तु उक्त कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता, क्योंकि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतका की मृत्यु फाँसी लगने से हुई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 04.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदक द्वारा कारागार में व्यतीत की गई अवधि तथा उसके विरुद्ध किसी भी आपराधिक इतिहास के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभिमत व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया मामला स्थापित कर दिया है।

7. परिणामस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक-**छेदू**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक इस आशय का अधियाचन प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगा। इस शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि पर्याप्त कारण के बिना वह अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और उद्घोषणा में नियत तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप गठन तथा (3) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 / दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे आचरण को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई उपर्युक्त टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक : 16 जून, 2026

ललित शुक्ल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”